[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख,31 मार्च,2015

का0आ0 938 (अ)-- केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित किया गया है और उक्त जोन में उद्योगों के विस्तार, उद्योग स्थापित करने और उनके प्रचालन और प्रसंस्करण पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (viii) के अधीन राज्य सरकार का संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को सिफारिशों के साथ प्रारूप तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना छह मास के भीतर अर्थात् 30 सितंबर, 2013 को या उसके पूर्व पणधारियों से प्राप्त किए गए सुझाव और आक्षेप को निगमित करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के अधीन तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को सी. आर. जेड अधिसूचना के अधीन पहले ही अनुमोदित किया गया है, ऐसा चौबीस मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जब तक कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचना जारी करके उक्त अवधि विस्तारित न कर दिया जाए ;

और तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं की तैयारी की स्थिति का अवधिक रूप से पुनर्विलोकन करने से यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हुआ है तब वह उनके क्रमवार प्रारूप तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को कुछ और समय दे सकता है ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचनाओं को संशोधित करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को त्यक्त करना लोकहित में है ;

अतः, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप- (2) केधारा खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियमों, 1986 के नियम 5 के उपनियम 3 का खंड (घ) और उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त तटीय विनियमन क्षेत्र, अधिसूचना 2011 में -

(क) पैरा 5 में.-

(i) मद (viii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(viiii) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण द्वारा पणधारियों से प्राप्त किए गए सुझाव और आक्षेप को निगमित करने के पश्चात् उनकी सिफोरिशों के साथ प्रारूप तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा" ।

(ii) मद (xii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं तारीख 31 जनवरी, 2016 तक विधिमान्य होगा या उस समय तक जैसाकि उक्त मंत्रालय द्वारा उक्त अधिसूचना के अधीन बनाए गए नए सिरे से तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं के बारे में किया गया अनुमोदन जो भी पहले हो" ।

[सं.जे-17011/18/96-आईए-III]

(बिश्वानाथ सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :--

1. का. आ. 2557 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2013;
2. का. आ. 1244 (अ) तारीख 30 अप्रैल, 2014;
3. का. आ. 3085 (अ) तारीख 28 नवंबर, 2014;
4. का. आ. 383 (अ) तारीख 4 फरवरी, 2015; और
5. का. आ. 556 (अ) तारीख 17 फरवरी, 2015;

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

New Delhi, the 31st March, 2015

NOTIFICATION

S.O. 938 (E). Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, under clause (viii) of paragraph 5 of the said notification, the Coastal Zone Management Authority of a State Government or of a Union territory is required to submit the draft Coastal Zone Management Plan along with its recommendations to the Ministry of Environment and Forests within a period of six months, i.e., on or before the 30th September, 2013, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;

And Whereas, under clause (xii) of paragraph 5 of the said notification, the Coastal Zone Management Plans already approved under the CRZ notification, 1991, shall be valid for a period of twenty-four months unless the said period is extended by the Ministry of Environment and Forest by a specific notification;

And whereas after the periodic review of the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the States and Union territories to submit their respective draft Coastal Zone Management Plans for approval;

And whereas the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said Coastal Regulation Zone, notification, 2011,-

(a) in paragraph 5,-

(i) for item (viii), the following item shall be substituted, namely:-

"(viii) The Coastal Zone Management Authority of a State or of a Union territory shall submit the draft Coastal Zone Management Plan along with its recommendations to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders".

(ii) for item (xii), the following item shall be substituted, namely:-

"(xii) The Coastal Zone Management Plans as already approved by the Ministry of Environment and Forests shall be valid up to the 31st day of January, 2016, or till such time as the approval is given by that Ministry to the fresh Coastal Zone Management Plans made under the said notification, whichever is earlier."

[No. J-17011/18/96-IA-III]

(Bishwanath Sinha)
Joint Secretary to Government of India

Note: The principal notification was published in the Gazette of India. Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:

1. S.O. 2557 (E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244 (E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085 (E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383 (E), dated the 4th February, 2015; and
5. S.O. 556 (E), dated the 17th February, 2015;